



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276526
CG-DL-E-26092026-276526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5098]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2026/आश्विन 3, 1948

No. 5098]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2026/ASVINA 3, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2026

का.आ. 5305(अ).— जबकि, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एसआरआईपीएल"), जिसका पंजीकृत कार्यालय आरएमजेड इन्फिनिटी, पाँचवा तल, प्लॉट नं. 15, उद्योग विहार, फेस IV, गुरुग्राम - 122015, हरियाणा, भारत में स्थित है, ने ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर (अनंतपुरमु) जिले में इसकी 432 मेगावाट (सोलर: 200 मेगावाट और पवन : 232 मेगावाट) हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए संपर्कता प्रदान करने हेतु पारेषण योजना" के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. No. 25-17/67/2026-पावर ग्रिड(एमओपी) दिनांक 30.04.2026 के द्वारा ट्रांसमिशन योजना "मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर (अनंतपुरमु) जिले में इसकी 432 मेगावाट (सोलर: 200 मेगावाट और पवन: 232 मेगावाट) हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए संपर्कता प्रदान करने हेतु पारेषण योजना" के अंतर्गत आने वाली ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एसआरआईपीएल") ने स्थानीय समाचार पत्रों आकाश ज्योति (हिंदी में) दिनांक 12.05.2026, आंध्र ज्योति (क्षेत्रीय भाषा) दिनांक 12.05.2026, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में) दिनांक 12.05.2026 और भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 12.05.2026 में ट्रांसमिशन योजना के लिए प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 2 महीने के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए

नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“एसआरआईपीएल”) ने 07.09.2026 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषित किया जाता है कि तीन आपत्तियाँ/प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से सभी की विधिवत जाँच की गई, उन पर उचित रूप से प्रत्युत्तर दिया गया तथा भारत सरकार के समाचार-पत्र/राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उनका निस्तारण कर दिया गया।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत ट्रांसमिशन योजना “मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर (अनंतपुरमु) जिले में इसकी 432 मेगावाट (सोलर: 200 मेगावाट और पवन : 232 मेगावाट) हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए संपर्कता प्रदान करने हेतु पारेषण योजना” के तहत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन विछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियाँ प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैं:

- मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर (अनंतपुरमु) जिले में इसकी 432 मेगावाट (सोलर: 200 मेगावाट और पवन: 232 मेगावाट) हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना के लिए संपर्कता प्रदान करने हेतु पारेषण योजना

उपरोक्त योजना के अंतर्गत ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव का नाम	तहसील	जिला
कृष्णपुर, लालबहादुरनगर, उप्परहालु, लिंगदहालु, उद्दीहालु, श्रीरंगपुरम, बेनकनहल्ली, बंदूर, गवनूरु, सिंगनहल्ली, श्रीधरघट्ट, गोनहालु, हरिजनवाडा, होन्नूर, होन्नहल्ली, कोत्तपल्ली, जयपुरम (कलावल्ली टिप्पा), कल्लुदेवनहल्ली, गोविंदवाडा, कोलगनहल्ली, मैलापुरम, एलानजी, होन्नूर	बोम्मनहल	अनंतपुर अनंतपुरमु
अंबापुरम, गनीगेरे, एर्रगुंट, केनगुंट, सीतारामनगर कैप, होन्नूर (बेन्निकल्लू), कनेकल्लू ब्रह्मसमुदी, बिदुरुकुंटम, मिनहल्ली, उदेगोलम, गरुडचेडु, तुम्बिगनूर, नागेपल्ली, मारेमपल्ली, रामनगर, कानेकल्लू नेसैय्यपेट, कनेकल्लू, माल्यम, कलेकुर्ती, हनकनहलु (पेनकलपाडु), सोल्लपुरम, निल्लुलेनी हनुमापुरम, ब्रम्हसमुद्रम, उदेगोलम, बिदुरुकुंटम	कनेकल	अनंतपुर अनंतपुरमु
तिम्मलपुरम, गोडीसलपल्ली	डी. हैरहल	अनंतपुर अनंतपुरमु
मल्लपुरम, उडबंड, पल्लूरु	विदापनाकल	अनंतपुर अनंतपुरमु
नरीमेट्टला, रायमपल्ली, रेनिमकुलपल्ली, निंबगल्लू, उरवकोंड, लट्टवरम, चिन्नमुस्तूर, पेद्दमुस्तूर, इंद्रवटी, मोपिडी, अमिड्याल, राकटल, राकटल टांडा, पेद्दकवुकुंटल, चिन्नकवुकुंटल, तुम्मटपल्ली, मुलिगिरिपल्ली, पेन्नहोबिलम्, कोनापुरम, राचेरल, शेख सनिपल्ली तांडा, शेख सनिपल्ली, व्यासपुरम	उरवकोंड	अनंतपुर अनंतपुरमु
शिवरामपेट, उदरपिदुर्ग (उदिरिपिकोंड), उदिरिपिकोंड, मारुटलचेरुवरु, मारुटिल, मारुटलपदमतूर, इमामपुरम, हम्सपल्ली, जल्लिपल्ली	कुदैर	अनंतपुर अनंतपुरमु

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात्, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित किये गए टेलीग्राफ लाइन एवं खम्भे या इस प्रकार की स्थापना और अनुरक्षण किये जाने के लिए, टेलीग्राफ प्राधिकरण को प्राप्त हैं-

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए ट्रांसमिशन, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात् ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अधीन है।
- vi. मेसर्स सेरेंटिका रिन्यूएबल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/82/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5305(E).— Whereas M/s SERENTICA RENEWABLES INDIA PRIVATE LIMITED (SRIPL), the applicant having its registered office at RMZ Infinity, 5th floor, Plot No 15, Udyog Vihar, Phase IV, Gurugram -122015, Haryana, India has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to Generating Pooing Station of M/s Serentica Renewables India Private Limited (Located at – Udiripikonda Village, Kudair Tehsil, Dist.- Anantapur (Ananthapuramu), Andhra Pradesh) – Anantapur II PS 220kV S/c line on D/c towers.”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/67/2026-POWERGRID (MoP) dated 30.04.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for the overhead line covered under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to Generating Pooing Station of M/s Serentica Renewables India Private Limited (Located at – Udiripikonda Village, Kudair Tehsil, Dist.- Anantapur (Ananthapuramu), Andhra Pradesh) – Anantapur II PS 220kV S/c line on D/c towers”.

M/s SERENTICA RENEWABLES INDIA PRIVATE LIMITED had published notice for transmission scheme in local newspapers Akash Jyoti (in Hindi) dated 12.05.2026, Andhra Jyothi (Regional Language) dated 12.05.2026, The New Indian Express (in English) dated 12.05.2026 and in Weekly Gazette of India dated 30.05.2026 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently M/s SERENTICA RENEWABLES INDIA PRIVATE LIMITED, has submitted an affidavit dated 07.09.2026 declaring that three observations/representations were received, all of which were duly examined, suitably responded to, and resolved within a period of two months from the date of publication of the Public Notice in the newspaper/Official Gazette of the Government of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with

respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "Transmission system for providing connectivity to Generating Pooing Station of M/s Serentica Renewables India Private Limited (Located at – Udiripikonda Village, Kudair Tehsil, Dist.- Anantapur (Ananthapuramu), Andhra Pradesh) – Anantapur II PS 220kV S/c line on D/c towers". The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. Transmission system for providing connectivity to Generating Pooing Station of M/s Serentica Renewables India Private Limited (Located at – Udiripikonda Village, Kudair Tehsil, Dist.- Anantapur (Ananthapuramu), Andhra Pradesh) – Anantapur II PS 220kV S/c line on D/c towers.

The transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Anantapur, Andhra Pradesh:

Villages	Tehsil	District
Krishnapura, Lalbahadurnagar, Upparahalu, Lingadahalu, Uddihalu, Srirangapuram, Benakanahalli, Banduru, Gavunuru, Singanahalli, Sridharaghatta, Gonahalu, Harijanvada, Honnuru, Honnahalli, Kottapalli, Jayapuram (Kalawalli tippa), Kalludevanahalli, Govindavada, Kolaganahalli, Mailapuram, Elanji, Honnur	Bommanahal	Anantapur (Ananthapuramu)
Ambapuram, Ganigere, Erragunta, Kengunta, Sitaramnagar Camp, Honnuru (Bennikallu), Kanekallu Brahmasamudi, Bidurukuntam, Minahalli, Udegolam, Garudachedu, Tumbiganuru, Nagepalli, Marempalli, Ramnagar, kanekallu Nesaiahpet, Kanekallu, Malyam, Kalekurti, Hanakanahalu (Penakalapadu), Sollapuram, Nilluleni Hanumapuram, Vyasapuram.	Kanekal	Anantapur (Ananthapuramu)
Timmalapuram, Godisalapalli	D.Hirehal	Anantapur (Ananthapuramu)
Mallapuram, Undabanda, Palturu	Vidapanakal	Anantapur (Ananthapuramu)
Narimetla, Rayampalli, Renimakulapalli, Nimbagallu, Uravakonda, Lattavaram, Chinnamushturu, Peddamushturu, Indravati, Mopidi, Amidyala, Rakatla, Rakatla Tanda, Peddakavukuntla, Chinnakavukuntla, Tummatapalli, Muligiripalli, Pennahobilam, Konapuram, Racherla, Shaik Sanipalli Tanda, Shaik Sanipalli	Uravakonda	Anantapur (Ananthapuramu)
Sivarampeta, Udarpidurga (Udiripikonda), Udiripikonda, Marutlacheruvuru, Marutla, Marutlapadamaturu, Imampuram, Hamsapalli, Jallipalli	Kudair	Anantapur (Ananthapuramu)

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s SERENTICA RENEWABLES INDIA PRIVATE LIMITED (SRIPL) for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.

- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s SERENTICA RENEWABLES INDIA PRIVATE LIMITED (SRIPL), shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/82/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. Vara Prasad, Under Secretary (PG)